न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा .....मु.नं. .....वर्ष.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
26/26/3/25	प्रार्थनापत्र पेश हुआ। नक्शे व कार्टोग्राफ एवं कार्टोग्राफ क्रमांक को बार-बार आवेदन दिलवाई गई लेकिन न्यायालय समय तक हाजिर नहीं आये। अतः वाद कार्टोग्राफ अंकन पत्रावली व अंकन शाखा में लंबित किया जाता है। प्रार्थनापत्र के अनुसार होकर वाद कार्यवाही अग्रिम अग्रसर हो। निर्णय आज दिनांक 26/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता।	

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner